

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Misc Suspension Of Sentence Application No.
572/2025

In

S.B. Criminal Revision Petition No. 2256/2025

Ramray, Son Of Motilal, Aged About 39 Years, Resident Of Village
Kankariya, Police Station Karvar, Tehsil Nainwa, District Bundi
(Raj.) (Presently Confined In District Jail Bundi)

-----Petitioner

Versus

1. Omprakash Son Of Chouthmal, Aged About 57 Years,
Resident Of Karvar, Tehsil Nainwa, District Bundi.
2. State Of Rajasthan, Through Its P.P.

-----Respondents

Connected With

S.B. Criminal Revision Petition No. 2257/2025

Ramray, Son Of Motilal, Aged About 39 Years, Resident Of Village
Kankariya, Post Karvar, Tehsil Nainwa, District Bundi (Raj.)
(Presently Confined In District Jail Bundi)

-----Petitioner

Versus

1. Chouthmal Son Of Kishanchand, Resident Of Karvar,
Tehsil Nainwa, District Bundi.
2. State Of Rajasthan, Through Its P.P.

-----Respondents

For Petitioner(s)	:	Mr. Anmol Dhakar
For Respondent(s)	:	Mr. Shri Ram Dhakad, P.P. Mr. Umashanker Pandey

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI

Order

05/03/2026

प्रार्थी/याची की ओर से पृथक-पृथक प्रार्थनापत्र आई0ए0-02/2026, बाबत् अंतरिम जमानत प्रस्तुत किये गये।

योग्य अधिवक्ता प्रार्थी/याची द्वारा प्रार्थना पत्रों में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी/याची की बहनों पूजा एवं सरिता का विवाह दिनांक 09.03.2026 को सम्पन्न होना तय हुआ है, अतः उक्त विवाह में धार्मिक एवं सामाजिक उत्तरदायित्वों की पूर्ति हेतु उन्हें 20 दिवस की अंतरिम जमानत प्रदान की जावे।

जबकि योग्य लोक अभियोजक एवं योग्य अधिवक्ता परिवादी ने इसका विरोध करते हुए तर्क दिया कि पूजा, याची/प्रार्थी की सगी बहन नहीं है, बल्कि वह उसके भाई की पुत्री है तथा याची के भाई के परिवार में अन्य लोग भी उपलब्ध हैं, अतः याची की ओर से की गई अंतरिम जमानत की प्रार्थना निरस्त की जावे।

दोनों पक्षों के योग्य अधिवक्तागण को सुना गया, पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। योग्य लोक अभियोजक एवं योग्य अधिवक्ता परिवादी के उपरोक्त तर्कों, प्रकरण के तथ्यों एवं समस्त परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थीगण/याचीगण की ओर से सजा स्थगन प्रार्थना पत्र एवं निगरानी याचिका में प्रस्तुत पृथक-पृथक अंतरिम जमानत आवेदन-पत्र आई0ए0 02/2026 निरस्त किए जाते हैं।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J